न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 2020	18.11.2020	22.09.2021

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामस्वरूप पुत्र काल्या उर्फ कालुलाल
2– रामकुमार पुत्र काल्या उर्फ कालुलाल जातियान मीना निवासीगण प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– काल्या उर्फ कालुलाल पुत्र लाला
2– रामेश्वर पुत्र काल्या उर्फ कालुलाल जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज0)
3– शांति पुत्री काल्या उर्फ कालुलाल पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी लाडाहाली उर्फ गणेशखेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
4– कमला पुत्री काल्या उर्फ कालुलाल पत्नि रामकरण जाति मीना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5– चेतनप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
6– गोपी पत्नि काल्या उर्फ कालुलाल जाति मीना निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

1– प्रार्थीगण की ओर से– श्री श्याम बैरवा एडवोकेट
2– अप्रार्थीगण – श्री कमल बंसल एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

प्रार्थीगण ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें कामयाबी कि पूर्ण उम्मीद है।

Scanned with CamScanner

यह कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का पिता है, अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीगण का सगा भाई अप्रार्थीगण 3 व 4 प्रार्थीगण की सगी बहिन है, अप्रार्थी क्रम 6 प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 की मॉ है। तथा अप्रार्थी क्रम 5 अप्रार्थी क्रम 2 का पुत्र है।

यह कि वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सवंत 2073–2073 के मुताबिक खाता सं0 नया 12, पुराना 11 की खसरा नमबर 107 रकबा 2.97 है0 , खसरा नम्बर 182 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 46 रकबा 2.72 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 53 रकबा 2.72 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 15.07 है0, कृषि आराजी अप्रार्थी क्रम 1 काल्या पुत्र लाला मीणा प्रार्थीगण के पिता के खाते दर्ज है।

यह कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के पिता 96 वर्षिय वृद्व व्यक्ति है, जिन्होने अपने जीवन काल में ही उनके पुत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 रामेश्वर तीनों भाइयों में पारिवारिक बंटवारा कर दिया है। तीनों भाई रामस्वरूप, रामकुमार, रामेंश्वर सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजी में से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता काल्या उर्फ कालुलाल पुत्र लाला जाति मीणा को अपने पूर्वजों से विरासत से प्राप्त की आराज़ी होने के कारण उक्त सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात विवादित भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही वर्णित आराजी में हित उत्पन्न हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित ग्राम प्रेमपुरा की सम्पूर्ण कृषि आराजी जो अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के पिता के खाते दर्ज है, उसमें निहित अपने अपने 1/4 –1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाकर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उक्त वर्णित विवादित आराजी मकें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित है, तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 अपने– अपने हित के अनुरूप काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रम 1 व 3 ता 6 का वर्णित आराजी में से किसी भी हिस्से (भाग) पर कब्जा काश्त नहीं है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को भू–सुधार, कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि न्यायालय हाजा की सहायता से प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 में वर्णित आराजी में निहित अपने अपने 1/4– 1/4 की घोषणा खातेदारी करवाकर पृथक से विभाजन करवाये।

यह कि अप्रार्थी क्रम 2 व 5 ने षड़यंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के पिता 96 वर्षिय वृद्व व्यक्ति है, जिनको बहला फुसला कर किसान कार्ड बनवाने का बहाना बनाकर प्रार्थीगण के हिस्से में से कृषि आराजी हड़पने की नियत से अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण के पिता को जबरदस्ती तहसील कार्यालय पीपल्दा में ले जाकर अप्रार्थी क्रम 2 व 5 ने मिलीभगत कर अप्रार्थी क्रम 5 जो अप्रार्थी क्रम 2 का पुत्र है, के नाम काल्या पुत्र लाला मीणा के खाते की कृषि आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 है0 का दान पत्र अप्रार्थी क्रम 5 ने अपने नाम करवा लिया है जो कानूनी रूप से अवैध है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 का वर्णित आराजी में कब्जा काश्त नहीं होने के अभाव में दान पत्र नहीं किया जा सकता है, तथा प्रार्थीगण का सम्पूर्ण कृषि आराजी में हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थीगण के पिता काल्या पुत्र लाला

Scanned with CamScanner

किसी एक खसरा नम्बर की कृषि आराजी को दान करने का अधिकार प्राप्त के बावजूद भी अप्रार्थी क्रम 2 ता 5 ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से दान पत्र दित करवा लिया है, जो अवैध है।

यह कि अप्रार्थी क्रम 5 द्वारा फर्जी तरीके से करवाये गये दान पत्र के जरिये खसरा म्बर 116 रकबा 2.10 है0 से अप्रार्थी क्रम 5 का नाम खाते से विलोपित करवाया जाना तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है, मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागु नहीं होता है, तथा मीणा जाति के सदस्य शास्त्रिय विधि से शासित होते है, जिसके अनुसार पुत्र होने की स्थिति में व पति जीवित होने की स्थिति में पिता–पति की सम्पत्ति में पुत्रियों व पत्नि का कोई हित नहीं होता है। इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के रहते हुए अप्रार्थी क्रम 3, 4 व 6 का विवादित आराजी में कोई हक निहित नहीं है। तथा वर्णित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2, 4, 5 व 6 का किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी क्रम 5 ने माल ग्राम प्रेमपुरा की खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 है0 कृषि आराजी को अपने नाम करवाने तथा वादीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी दिनांक 11.11.2020 को होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण , अप्रार्थी क्रम 1 की जायन्दा औलाद होने के कारण वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा हिहित होने से तथा वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त होने के कारण पृथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है, तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 5 द्वारा षड़यंत्र पूर्वक मिलीभग करके अप्रार्थी क्रम 1 जो प्रार्थीगण के पिता के खाते वाली वर्णित आराजी को अन्यत्र बैचान , दान, वसीयत, रहन आदि कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 1 काल्या उर्फ कालुलाल मीणा, अप्रार्थी क्रम 2 रामेश्वर मीणा व अप्रार्थी क्रम 5 चेतन प्रकाश पुत्र रामेश्वर मीणा व अप्रार्थी क्रम 7 तहसीलदार साहब पीपल्दा को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वाके ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबन्दी सवंत 2073–2073 के मुताबिक खाता सं0 नया 12, पुराना 11 की खसरा नमबर 107 रकबा 2.97 है0 , खसरा नम्बर 182 रकबा 0.96 है0, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 46 रकबा 2.72 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 53 रकबा 2.72 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 2.40 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 15.07 है0, कृषि आराजी को रहन, बैचान ,दान, वसीयत आदि नहीं करें, तथा उक्त वर्णित आराजी की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, प्रार्थीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में बाधा, व्यवधान , मदाखलत–मजाहमत न तो स्वंय करें ना ही ऐसा कृत्य अपने किसी विधिक प्रतिनिधियों से करवाये।

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2070–2073 ग्राम प्रेमपुरा

Scanned with CamScanner

2– नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 ग्राम प्रेमपुरा
3– नकल जमाबन्दी संवत 2074–2077 ग्राम प्रेमपुरा खाता सं0 244
4– नकल नक्शा ट्रेस ग्राम प्रेमपुरा
5– नकल आधार कार्ड वादी रामस्वरूप
6– नकल आधार कार्ड वादी रामकुमार
7– नकल जमाबन्दी संवत 1982 ग्राम प्रेमपुरा
8– नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2019 ग्राम प्रेमपुरा
9– नकल जमाबन्दी संवत 2036 से 2035 ग्राम प्रेमपुरा
10– मिलान क्षैत्रफल ग्राम प्रेमपुरा संवत 2041 से 2060 ग्राम प्रेमपुरा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत मीणा एवं प्रतिवादी क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:–

1– यह कि वादीगण एवम् प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य कोई पारिवारिक बॅटवारी नही हो रहा है ग्राम प्रेमपुरा की कुल किता 10 की रकबा 15.07 है0 विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के ही तन्हा स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है। जिसमें से प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा स्वेच्छा , प्राधिकार पूर्वक स्वंय के निहित खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुये खसरा संख्या 116 रकबा 2.10 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा की जा रही सेवा सूश्रूषा से प्रसन्न होकर, विधिवत दान पत्र निष्पादित कर जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 16.07.2020 से प्रतिवादी क्रम 5 को दान की जा चुकी है जिसे प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है तथा जिसका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी हो चुका है। वादीगण को उक्त पंजीकृत दान पत्र को चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि वादीगण, खसरा संख्या 116 रकबा 2.10 है0 व खसरा संख्या 46 रकबा 2.72 है0 भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकारों का दावा करने के योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा कुल 15.07 है0 भूमि में से खसरा सं0 116 व खसरा संख्या 46 कुल भूमि 4.82 है0 को मुजरा करने के उपरान्त शेष 10.25 है0 कृषि भूमि पर ही स्वंय के किसी हित अथवा अधिकार का दावा कर सकते है।

यह कि प्रार्थी ने असत्य मनगढंत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी क्रम 1 , 2,व 5 खातेदार है, उनके विरूद्व प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगणर के पक्ष में है। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 , 2 व 5 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती।

बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन पर उक्त वर्णित विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति का राजस्व रिकार्ड की नकले संलग्न प्रार्थना पत्र है। दौरान बहस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है।

प्रार्थीगण की ओर पेश की गई रूलिंग–

1– आर आर टी 2016(2) राजस्थान हाई कोर्ट
2– आर आर टी 2012(1) राजस्थान हाई कोर्ट
3– आर आर टी 2011–12 सुप्रीम कोर्ट

Scanned with CamScanner

आर आर टी 1402 राजस्थान हाई कोर्ट
5- आर आर टी 1404 राजस्थान हाई कोर्ट
6- आर आर टी 2014-15 सुप्रीम कोर्ट

अप्रार्थीगण की ओर से पेश की गये न्यायिक दृष्टान्तः-

1- kehar Singhvs vrtdid Nachittar kaur & Ors on August 2018 (Supreme court of india)

2- Ilavarasi Ramanathan vs Mehamala (Madras High Court) 10-10-2018

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं बहस में किये गये कथनों तथा पत्रावली प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केस पूर्ण रूप से साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होना कारित होता है। विवादित आराजी मूल वाद निस्तारण तक यदि विवादित आराजी को बैचान एवं खुर्द बुर्द होती है तो प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है। अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं अपने हिस्से तक की भूमि से अधिक को विक्रय,एवं किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण आदि नहीं किया जा सकता है।

तथा अप्रार्थीगण अपना पक्ष रखने में सिद्व करने में विफल रहे है। विवादित आराजी में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में दिनांक 18.11.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद फैसल होने तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार से विवादित आराजी को रहन, बैचान, दान, आदि नहीं करें। प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें ओर न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से ऐसा कृत्य करावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

Scanned with CamScanner